कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर

कार्यालय आदेश

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर में दायर डी.बी. विशेष अपील (रिट) संख्या 1302/2018 यदुनन्दन गौतम बनाम सरकार व अन्य (अन्तर्गत एस.बी. सिविल याचिका संख्या 20364/2018) में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित अन्तरिम स्थगनादेश की पालना में इस कार्यालय के समसंख्यक आदेश दिनांक 25.10.2018 द्वारा श्री यदुनन्दन गौतम, प्रधानाचार्य को माननीय न्यायालय के आगामी/अन्तिम निर्णयाधीन राउमावि श्रीनाथपुरम, कोटा में एवं श्री महीपाल सिंह, प्रधानाचार्य का अन्तरिम समायोजन राउमावि राजोपा, हाथौली जिला कोटा किया गया था।

उक्त डी.बी स्पेशल अपील (रिट) संख्या 1302/2018 में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 06.03.2019 द्वारा एकल पीठ के निर्णय को निरस्त करते हुए राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर के निर्णय दिनांक 13.08.2018 को तर्कसंगत ठहराते हुए अपीलार्थी श्री गौतम को राउमावि श्रीनाथपुरम, कोटा में ही प्रधानाचार्य पद पर कार्यरत रखे जाने सम्बन्धी आदेश दिये गए।

अतः माननीय उच्च न्यायालय की डिवीजन बैन्च द्वारा प्रदत्त आदेश की अनुपालना में इस कार्यालय द्वारा माननीय न्यायालय की एकल पीठ के निर्णय की पालना में पूर्व में जारी आलोच्य आदेश दिनांक 24.09.2018 को एतद्द्वारा निरस्त किया जाता है जिसके फलस्वरूप श्री यदुनन्दन गौतम राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय श्रीनाथपुरम, कोटा में प्रधानाचार्य के पद पर पूर्ववत कार्यरत रहेंगे।

(नथमल डिडेल)
आई.ए.एस
निदेशक माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर

क्रमांकः–शिविरा–मा./संस्था/बी–2/डी.बी.अपील/यदुनन्दन/1302/2018 दिनांकः 22.04.2019

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः–

1. निजी सचिव,प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
2. संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, कोटा संभाग, कोटा।
3. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, कोटा।
4. जिला शिक्षा अधिकारी, मुख्यालय (माध्यमिक)कोटा।
5. जिला शिक्षा अधिकारी, (विधि) माध्यमिक शिक्षा–जयपुर।
6. सहायक निदेशक, विधि अनुभाग कार्यालय हाजा।
7. सिस्टम एनालिस्ट कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय वैबसाइट पर अपलोड हेतु।
8. निजी/रक्षित पत्रावली।

संयुक्त निदेशक–कार्मिक